

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल मीणा

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का रघुनाथपुरा,

बनाम

श्री रिछपाल पुत्र स्वरूपा जाति जाट निवासी धोलाखेडा

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

अर्तगत धारा 91 राज० भू. राजस्व अधिनियम, 1956

-:निर्णय:-


प्रकरण संख्या:- 21/2021

दिनांक 16.02.2021

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रघुनाथपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2077 में मौजा ग्राम धोलाखेडा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है० किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है० व गै० मु० आबादी 0.85 है० में से 0.01 है० सरकारी भूमि पर श्री रिछपाल पुत्र स्वरूपा जाति जाट निवासी धोलाखेडा ने अनाधिकृत रूप से बाड़ लगा कर अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि उक्त भूमि पर उसका पुराना कब्जा काश्त है, कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि का उसके हक में नियमन करने हेतु निवेदन किया है।

पृ. सं. 1

कृ. पृ. उ.


ना. तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

अप्रार्थी उक्त सरकारी भूमि वाके ग्राम घोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है० किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है० व गै० मु० आबादी 0.85 है० में से 0.01 है० भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया हैं।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम घोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है० किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है० व गै० मु० आबादी 0.85 है० में से 0.01 है० सरकारी भूमि पर से श्री रिछपाल पुत्र स्वरूपा जाति जाट निवासी घोलाखेड़ा को वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.01 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 1/- रुपये (अक्षरे रू एक मात्र) वतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से वेदखल कर रिपोर्ट वेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

(अमीलाल मीणा)

ना. तहसीलदार

123 उदयपुरवाटी (झुन्झुन) नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी

पृ. सं. 2

16/2/21-21

रुपये 325